2012, 9 एस.सी.आर. 873

महाराष्ट्र राज्य

बनाम

विश्वनाथ मरन्ना शेट्टी

(आपराधिक अपील संख्या 1689, 2012)

19 अक्टूबर 2012

(पी.सदाशिवम एवं रंजन गोगोई, जेजे.)

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999:

मकोका की धारा 21(4) और 10 सपठित धारा 439 सीआरपीसी - जमानत - दंडनीय अपराधों के लिए प्रतिवादी के साथ-साथ अन्य आरोपी व्यक्तियों पर भी मकोका की धारा 3 एवं धारा 302, 452 सपठित 34 तथा 120-बी आईपीसी के तहत अभियोजन - विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत अस्वीकार कर दी गई, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी – अभिनिर्धारित: मकोका की धारा 21(4), उस आरोपी को जमानत देने पर रोक लगाती है जिसके खिलाफ उसे मकोका के अंतर्गत अपराध का दोषी मानने के लिए उचित आधार हैं - वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि प्रतिवादी के खिलाफ रखी गई सामग्री में सह-आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा शामिल है जो मकोका की धारा 18 के तहत दर्ज किया गया था, प्रतिवादी के कर्मचारी का बयान जो इंगित करता है कि प्रतिवादी ने उसे नकदी सौंपी थी और प्रतिवादी द्वारा प्राप्त और

मुख्य आरोपी को सौंपी गई धनराशि अवैध लेनदेन का हिस्सा थी - प्रतिवादी का कार्य, प्रथम दृष्टया, मकोका में उल्लिखित अपराध का दुष्प्रेरण है - मकोका के तहत अपराध करने का आरोपी व्यक्ति न केवल सीआरपीसी की धारा 439 के तहत लगाई गई सीमाओं के अधीन है, बल्कि मकोका की धारा 21 की उपधारा (4) के खंड (ए) और (बी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन भी है - मकोका की धारा 21(4) की अनिवार्य आवश्यकताओं की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को अपास्त कर दिया गया है और विशेष न्यायाधीश के आदेश को बहाल किया गया है।

प्रतिवादी-अभियुक्त सं.9 महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित एक एमसीओसी विशेष मामले में, एक 'एफटी' की हत्या में शामिल "संगठित अपराध सिंडिकेट" का सदस्य होने का आरोप लगाया गया था, और कहा गया था कि उक्त सिंडिकेट के फंड का प्रबंधन कर रहा है। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि प्रतिवादी के माध्यम से, आरोपी संख्या 7, एक बिल्डर का अभियुक्त संख्या 1 और 2 से पैसे का आदान-प्रदान हुआ। जिन्होंने 'एफटी को मार डाला। मकोका विशेष अदालत ने प्रतिवादी को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे जमानत दे दी। व्यथित होकर राज्य सरकार ने अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1.1 यह नोट करना प्रासंगिक है कि मकोका को संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधि की रोकथाम और डी नियंत्रण और उससे निपटने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। मकोका की धारा 21(4) उस आरोपी को जमानत देने से रोकती है जिसके खिलाफ उसे मकोका के तहत अपराध का दोषी मानने के लिए उचित आधार हैं। धारा 21(4) न्यायालय को उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी को खंड (ए) और (बी) में निर्धारित शर्तों के अधीन रिहा करने से रोकती है। अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए एफ आवेदन का विरोध करने का अवसर देने के अलावा, अन्य जुड़वां शर्तें, अर्थात्, (i) अदालत की संतुष्टि कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है; और (ii) इस बात से संतुष्ट होना होगा कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। उपधारा के खण्ड (क) एवं (ख) में विचारित संतुष्टि। अभियुक्त के दोषी नहीं होने के संबंध में धारा 21 का (4) "उचित आधार" पर आधारित होना चाहिए। यद्यपि अभिव्यक्ति 'उचित आधार' को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, यह माना जाता है कि यह प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। धारा 21 की उपधारा (4) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित दोनों पहलुओं पर संतुष्टि की रिकॉर्डिंग मकोका के तहत जमानत देने के लिए अनिवार्य है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि

मकोका की धारा 21 की उप-धारा (4) में गैर-अस्थिर खंड को पढ़ने से यह पता चलता है कि उक्त अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने की शक्ति केवल विषय नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत लगाई गई सीमाओं के अधीन, लेकिन धारा 21 की उप-धारा (4) के खंड (ए) और (बी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन भी। [पैराज 10, 13, 18 और 21] [885-जी-एच; 887-जी-एच; 892-सी; 893-एफ-एच; 894- ए-सी]

1.2 वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्री से पता चलता है कि वांछित अभियुक्त 'VS' और प्रतिवादी वांछित अभियुक्त 'BN' के "संगठित अपराध सिंडिकेट" के सदस्य हैं। अभियोजन पक्ष का यह भी निश्चित रुख है कि मृतक की हत्या करने वाले कथित 'BN' और 'VS' भारत से बाहर हैं और सिंडिकेट के सदस्यों के माध्यम से संगठित अपराध में शामिल हैं। आगे रखी गई सामग्रियों से पता चलता है कि A-7, एक बिल्डर, एक प्रोजेक्ट कर रहा था और सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के कुछ सदस्यों का उसके साथ कुछ विवाद था, इसलिए, उन्होंने मृतक से संपर्क किया, जो उनके विवाद में उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। बिल्डर. यह जानने पर, A-7 ने मृतक को खत्म करने के लिए वांछित आरोपी 'BN' और 'VS' से संपर्क किया और 90 लाख रुपये की रकम मांगी, जिसका भुगतान गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों के माध्यम से उक्त वांछित आरोपी व्यक्तियों को किया गया था। प्रतिवादी के खिलाफ आरोप

का सार यह है कि मृतक की हत्या के लिए शूटर को जो रकम दी गई थी, उसका कुछ हिस्सा उसके माध्यम से वास्तविक शूटर को दिया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मकोका की धारा 23(2) के तहत मंजूरी पुलिस आयुक्त द्वारा 25.09.2010 को दी गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्री से यह भी संकेत मिलता है कि प्रतिवादी वांछित अभियुक्त 'VS' के लिए काम कर रहा है और उसे उसके लिए अवैध धन प्राप्त होता था। रखी गई सामग्रियों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-अभियुक्त का वांछित अभियुक्त 'VS' और 'BN' के साथ संबंध था, जो कुख्यात अपराधी हैं और प्रतिवादी का कृत्य मकोका की धारा 2(1)(ए) में परिभाषित 'उकसाने' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा कि प्रतिवादी के खिलाफ बी द्वारा रखी गई सामग्री में सह-अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति शामिल है जिसे मकोका की धारा 18 के तहत दर्ज किया गया है, प्रतिवादी के कर्मचारी का बयान जो इंगित करता है कि प्रतिवादी जून, 2010 के तीसरे सप्ताह में उसे नकद राशि सौंपी और प्रतिवादी द्वारा प्राप्त और मुख्य आरोपी को सौंपी गई धनराशि अवैध लेनदेन का हिस्सा थी। प्रतिवादी का कार्य, प्रथम दृष्टया, मकोका की परिभाषा और उद्देश्य और कारणों के विवरण के अंतर्गत है। सामग्री पर विचार करते हुए, विशेष रूप से, मकोका की धारा 21(4) के तहत रोक के आलोक में, विशेष अदालत ने प्रतिवादी द्वारा दायर जमानत के आवेदन को

सही ढंग से खारिज कर दिया। [पैराज 16-19], [890-एफ-एच; 891-ए-बी, डी-ई, एफ-जी; 892- बी-सी, डी-जी, सी]

1.3 चूँकि प्रतिवादी पर मकोका के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, जमानत देने के लिए उसके आवेदन पर विचार करते समय, आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अभियोजन में लागू किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों के अलावा, उक्त क़ानून में प्रासंगिक प्रावधान, अर्थात्, धारा 21 की उप धारा (4) को ध्यान में रखना होगा। मामले में उपलब्ध सामग्रियों के मद्देनजर, इस न्यायालय का मानना है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय दोहरे परीक्षणों को पूरा नहीं किया है। मकोका की धारा 21(4) की अनिवार्य आवश्यकताओं की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी को जमानत देने का उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है और विशेष न्यायाधीश का आदेश बहाल किया जाता है. [पैराज 21-23] [893- ई-एफ; 894-ई-जी]

रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2005 (3) एससीआर 345 = (2005) 5 एससीसी 294; और भारत संघ बनाम रतन मलिक उर्फ हबुल 2009 (1) एससीआर 533 = (2009) 2 एससीसी 624 - पर निर्भरता

केस कानून संदर्भ:

2005 (3) एससीआर 345	पर भरोसा	पैरा 9

2009 (1) एससीआर 533 पर भरोसा पैरा 15

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1689/2012

उच्च न्यायालय बॉम्बे के आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 872/2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.08.2011 से उत्पन्न।

चिन्मय खलादकर, संजय वी. खरदे, आशा गोपालन नायर अपीलकर्ता की ओर से।

यू.यू. ललित, ए. मारियारपुटम, अश्विन सी. थोड, सुशील करंजकर, रत्नाकर सिंह, के.एन. राय प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया:-

पी. सदाशिवम, न्यायाधिपति 1. अवकाश अनुदत्त की गयी।

2. यह अपील आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 872/2011 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.08.2011 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी - अभियुक्त को जमानत दे दी थी- ग्रेटर बॉम्बे के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित 2010 के एमसीओसी विशेष मामले संख्या 10 में आरोपी नंबर 9।

3. संक्षिप्त तथ्य:

(ए) अभियोजन पक्ष के अनुसार, वांछित आरोपी भरत नेपाली और विजय शेट्टी के नेतृत्व में एक "संगठित अपराध सिंडिकेट" विदेशों में काम कर रहा है। उक्त सिंडिकेट अपने सदस्यों के माध्यम से मुंबई और अन्य स्थानों पर जबरन वसूली और अनुबंध हत्याओं की प्रकृति में विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है। एमसीओसी स्पेशल कोर्ट, ग्रेटर बॉम्बे के समक्ष फाइल पर लंबित सभी आरोपी व्यक्तियों पर उक्त सिंडिकेट के सदस्य होने का आरोप है।

(बी) 03.06.2010 को, एक आदतन अपराधी फरीद तनाशा की तिलकनगर, चेंबूर, मुंबई में उसके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी दिन, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय बी दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी) की धारा 302 और 452 सपठित धारा 34 और धारा 120-बी तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3, 25 और 27 के पुलिस थाना तिलकनगर में एफआईआर संख्या 122/2010 दर्ज की गई थी।

(सी) जांच के दौरान, डीसीबी, सीआईडी, यूनिट नंबर 6, मुंबई को पता चला कि हत्या भरत नेपाली और विजय शेट्टी (वांछित आरोपी) के निर्देश पर की गई थी। इसके अलावा, जांच में यह पता चला कि एक बिल्डर, दत्तात्रेय भाकरे (अभियुक्त नंबर 7) ने फरीद तनाशा (मृतक) को खत्म करने के लिए भरत नेपाली और विजय शेट्टी को अनुबंधित किया

था, जो एक सहकारी समिति के सदस्यों की बिल्डर के साथ अपना विवाद सुलझाने के लिए मदद करने के लिए सहमत हुए थे। जांच में यह भी पता चला कि उक्त बिल्डर ने कथित तौर पर उक्त हत्या के लिए 90 लाख रुपये का वित्तपोषण किया था।

(डी) जांच के दौरान यह भी पता चला कि प्रतिवादी "संगठित अपराध सिंडिकेट" का एक सक्रिय सदस्य था और सिंडिकेट के फंड का प्रबंधन कर रहा था और उसके माध्यम से पैसा सह-अभियुक्त दत्तात्रय भाकरे से जफर रजियालम खान उर्फ अब्बास और मो. साकिब शाहनवाज आलम खान, आरोपी नंबर 1 और 2 के पास चला गया, जिन्होंने फरीद तनाशा की हत्या की।

(ई) 25.09.2010 को, पुलिस आयुक्त, ग्रेटर बॉम्बे ने महाराष्ट्र नियंत्रण की धारा 3(1)(i), (2) और (4) के तहत प्रतिवादी सहित गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। संगठित अपराध अधिनियम, 1999 (संक्षेप में 'मकोका') और इसलिए प्रतिवादी पर आईपीसी की धारा 120बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत अपराध के साथ-साथ यहां ऊपर दिए गए अपराध करने का आरोप है।

(एफ) प्रतिवादी ने एमसीओसी स्पेशल एच कोर्ट, ग्रेटर बॉम्बे के समक्ष 2010 के विशेष मामले संख्या 10 में जमानत के लिए एक आवेदन

दायर किया। आदेश दिनांक 07.05.2011 द्वारा विशेष न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया.

(छ) व्यथित होकर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 872 प्रस्तुत की। दिनांक 10.08.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के मामले को स्वीकार कर लिया और कुछ शर्तें लगाकर उसे जमानत दे दी।

(ज) प्रतिवादी को जमानत देने के आदेश पर सवाल उठाते हुए, महाराष्ट्र राज्य ने विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।

4. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील श्री चिन्मय खलादकर और प्रतिवादी-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यू.यू.ललित को सुना।

5. इस अपील में विचारणीय एकमात्र बिंदु यह है कि क्या लगाए गए आरोपों और रखी गई सामग्रियों के आलोक में अभियोजन, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देना उचित था, विशेष रूप से, मकोका की धारा 21(4) के तहत लगाए गए प्रतिबंध के आलोक में?

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हमें एफआईआर में दिए गए कथनों, मोहम्मद रफीक अब्दुल समद शेख उर्फ शंकर (उसमें आरोपी नंबर 6) के इकबालिया बयान से अवगत कराया। मकोका और अन्य सामग्रियों के प्रासंगिक प्रावधानों ने प्रस्तुत किया कि विशेष अदालत द्वारा प्रतिवादी, जिसे

आरोपी नंबर 9 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, द्वारा दायर जमानत के लिए आवेदन को खारिज करना पूरी तरह से उचित था। दूसरी ओर, उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने, प्रतिवादी की संलिप्तता और बिल्डर दत्तात्रय भाकरे से वास्तविक हत्यारों, ए-1 और ए-2 को राशि हस्तांतरित करने में उसकी भूमिका को नोटिस करने में विफल रहा, उसे जमानत दो.

7. इसके विपरीत श्री यू.यू. ललित प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सहअभियुक्त के इकबालिया बयान की ओर इशारा करते हुए, जो बाद में मुकर गया, और मकोका के प्रावधानों के आलोक में कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जमानत देना पूरी तरह से उचित था।

8. प्रतिद्वंद्वी विवादों की सराहना करने के लिए, यह उपयोगी है मकोका के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करने के लिए जो यहां नीचे दिए गए हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि धारा 302 सपठित धारा 120-बी आईपीसी, प्रतिवादी पर मकोका की धारा 3(1)(i), 3(2) और 3(4) का आरोप लगाया गया था। मकोका के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

मकोका की धारा 2 विभिन्न परिभाषाओं से संबंधित है:

"2. परिभाषाएँ। (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, -

(ए) 'एबेट', अपनी व्याकरणिक विविधताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ, शामिल है, -

(i) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संचार या जुड़ाव जिसके पास वास्तविक जानकारी है या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति किसी संगठित अपराध सिंडिकेट की किसी भी तरह से सहायता करने में लगा हुआ है

(ii) संगठित अपराध सिंडिकेट को सहायता प्रदान करने वाली किसी भी जानकारी को बिना किसी कानूनी प्राधिकार के प्रसारित करना या प्रकाशित करना और संगठित अपराध सिंडिकेट से प्राप्त किसी दस्तावेज़ या मामले को प्रसारित करना या प्रकाशित करना या वितरित करना; और

(iii) संगठित अपराध सिंडिकेट को कोई भी सहायता प्रदान करना, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा;

* * *

* * *

(डी) 'गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना' का अर्थ है उस समय लागू कानून द्वारा निषिद्ध गतिविधि, जो एक संज्ञेय अपराध है जिसमें तीन साल या उससे अधिक की कैद की सजा हो सकती है, जो अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से की जाती है। ऐसा सिंडिकेट जिसके संबंध में पिछले दस वर्षों की अवधि के

भीतर एक सक्षम अदालत के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं और उस अदालत ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है।

(ई) 'संगठित अपराध' का अर्थ है किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति द्वारा हिंसा या हिंसा की धमकी या डराना-धमकाना या जबरदस्ती या आर्थिक लाभ प्राप्त करने, या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने या विद्रोह को बढ़ावा देने का उद्देश्य से अन्य गैरकानूनी तरीकों से जारी कोई भी गैरकानूनी गतिविधि।

(एफ) 'संगठित अपराध सिंडिकेट' का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह, जो अकेले या सामूहिक रूप से एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में संगठित अपराध की गतिविधियों में शामिल होते हैं;

(जी) ....."

"3. संगठित अपराध के लिए सज़ा- (1) जो कोई संगठित अपराध का अपराध करेगा,

(i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माना भी लगाया जाएगा;

(ii) किसी भी अन्य मामले में, कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(2) जो कोई किसी संगठित अपराध या संगठित अपराध की तैयारी करने वाले किसी कृत्य की साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है या उसकी वकालत करता है, उकसाता है या जानबूझकर उसे अंजाम देने में मदद करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) जो कोई संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी भी सदस्य को शरण देता है या छिपाता है या शरण देने या छुपाने का प्रयास

करता है; ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने के अधीन होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।

(5) जो कोई भी किसी संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति या संगठित अपराध सिंडिकेट फंड के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति रखता है, उसे तीन साल से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम दो लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माना भी लगाया जा सकता है।"

"4. संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से बेहिसाब संपत्ति रखने के लिए सजा।

यदि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय चल या अचल संपत्ति के कब्जे में है,

जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना होगा और ऐसी संपत्ति कुर्की और जब्ती के लिए भी उत्तरदायी होगी, जैसा कि धारा 20 में प्रदत्त किया गया है।"

"21. संहिता के कुछ प्रावधानों का संशोधित अनुप्रयोग -

(1)..

(2)...

(3)...

(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

(ए) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

(बी) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे

अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

9. इसी प्रावधान पर इस न्यायालय द्वारा रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2005) 5 एससीसी 294 मामले में विचार किया गया है। इस मामले में, एक तेलगी के खिलाफ मकोका के प्रावधान लागू किए गए थे, जिसे महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न राज्यों में नकली टिकटों की छपाई और जालसाजी के कथित अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसे आरोपी नंबर 23 और शब्बीर शेख को आरोपी नंबर 25 के रूप में पहचाना गया। सभी विवरण बताने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न पूछा:

"36. क्या इस क़ानून के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से पहले, अदालत, प्रथम दृष्टया, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है? क्या अदालत के लिए ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करना आवश्यक है? क्या अदालत के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मशीनरी उपलब्ध होगी कि एक बार आरोपी को जमानत मिल जाने के बाद वह कोई अपराध नहीं करेगा?"

उसी के उत्तर में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"38. हमारी यह भी राय है कि जमानत देने की अदालत की शक्ति पर प्रतिबंध को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यदि अदालत, रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि पूरी संभावना है कि उसे अंततः दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, तो जमानत देने का आदेश पारित किया जा सकता है। जमानत पर रहते हुए उसके अपराध न करने की संभावना के संबंध में अदालत की संतुष्टि को अधिनियम के तहत अपराध माना जाना चाहिए, न कि कोई अपराध, चाहे वह छोटा या बड़ा अपराध हो। यदि इतना विस्तृत अर्थ दिया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत अपराध होने की संभावना भी अदालत को आरोपी को जमानत पर रिहा करने से रोक सकती है। एक क़ानून, यह घिसा-पिटा है, इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए जिससे बेतुकापन आ जाए। अदालत के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह अभियुक्त की दोषीता और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगठित अपराध में उसकी संलिप्तता को देखे। जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय अदालत इस सवाल पर इस नजरिए से विचार करेगी कि क्या उसके पास अपेक्षित आपराधिक क्षमता थी। हर छोटी चूक या कमीशन, लापरवाही या उपेक्षा से मामले में उसके दोषी होने की संभावना नहीं हो सकती है जो मकोका के प्रावधानों को आकर्षित

करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति वह नहीं कर सकता जो उसे करना चाहिए था। अदालत इस प्रकृति की स्थिति में कानून के व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रख सकती है कि एक लोक सेवक की ओर से किए गए कुछ कृत्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है, लेकिन दंडात्मक प्रावधान नहीं हो सकता है।"

"44. हमारी राय में, धारा 21(4) की शब्दावली इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि अदालत को सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जमानत के लिए आवेदक ने अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है। यदि ऐसा कोई निर्माण किया गया है, तो जमानत देने का इरादा रखने वाली अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आवेदक ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, अभियोजन पक्ष के लिए आवेदक की दोषसिद्धि का निर्णय प्राप्त करना असंभव होगा। विधायिका की मंशा ऐसी नहीं हो सकती, इसलिए मकोका की धारा 21(4) का उचित अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि अदालत बरी करने और दोषसिद्धि के फैसले और मुकदमा शुरू होने से बहुत पहले जमानत देने के आदेश के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। इसी तरह, अदालत को जमानत दिए जाने के बाद उसके अपराध करने की संभावना

के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, भविष्य में ऐसा अपराध अधिनियम के तहत एक अपराध होना चाहिए, न कि कोई अन्य अपराध। चूँकि किसी आरोपी के भविष्य के आचरण की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, इसलिए अदालत को आरोपी के पूर्ववृत्त, उसकी प्रवृत्ति और जिस प्रकृति और तरीके से उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए मामले के इस पहलू पर विचार करना चाहिए।"

"46. इस स्तर पर अदालत का कर्तव्य साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक तौलना नहीं है, बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। हालांकि, मकोका जैसे विशेष कानून से निपटते समय अधिनियम की धारा 21 के सब सेक्शन (4) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अदालत को मामले की गहराई से जांच करनी पड़ सकती है ताकि वह इस नतीजे पर पहुंच सके कि जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री सजा के फैसले को उचित नहीं ठहरा सकती है। जमानत देते या अस्वीकार करते समय अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निस्संदेह प्रकृति में अस्थायी होंगे, जिसका मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं होगा और इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट पेश किए गए सबूतों के आधार पर किसी भी तरह से

पक्षपात किए बिना मामले का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

10. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मकोका को संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधि की रोकथाम और नियंत्रण और उससे निपटने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

"संगठित अपराध पिछले कुछ वर्षों से हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा बनकर सामने आया है। यह कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं जानता है और अनुबंध हत्याओं, जबरन वसूली, प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, फिरौती के लिए अपहरण, संरक्षण धन के संग्रह और मनी लॉन्ड्रिंग आदि से उत्पन्न अवैध धन से पोषित होता है। संगठित अपराध से उत्पन्न अवैध धन और काला धन बहुत अधिक होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह देखा गया कि संगठित आपराधिक सिंडिकेट ने आतंकवादी गिरोहों के साथ मिलकर एक साझा उद्देश्य बनाया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। यह मानने का कारण था कि राज्य में संगठित

आपराधिक गिरोह काम कर रहे हैं और इस प्रकार, उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता थी।

यह भी देखा गया कि संगठित अपराधी अपनी आपराधिक गतिविधियों में तार और मौखिक संचार का व्यापक उपयोग कर रहे हैं। अपराधों के घटित होने के साक्ष्य प्राप्त करने या उनके घटित होने को रोकने के लिए ऐसे संचारों को रोकना कानून प्रवर्तन और न्याय प्रशासन के लिए एक अनिवार्य सहायता होगी।

2. मौजूदा कानूनी ढांचा यानी दंडात्मक और प्रक्रियात्मक कानून और न्यायिक प्रणाली संगठित अपराध के खतरे को रोकने या नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाई गई। इसलिए, सरकार ने संगठित अपराध के खतरे को नियंत्रित करने के लिए कुछ परिस्थितियों में तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संचार को बाधित करने की शक्ति सहित कड़े और निवारक प्रावधानों के साथ एक विशेष कानून बनाने का निर्णय लिया।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। ''हमने पहले ही 'उकसाने', 'गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने', 'संगठित अपराध' और 'संगठित अपराध सिंडिकेट' की परिभाषा सहित प्रासंगिक परिभाषाओं का उल्लेख किया है।"

11. उपरोक्त उद्देश्यों और कारणों और विभिन्न सिद्धांतों, मकोका के वैधानिक प्रावधानों, जमानत देने के प्रतिबंधों और अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, आइए विचार करें कि क्या प्रतिवादी ने जमानत के लिए मामला बनाया है?

12. दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, हमने विशेष अदालत के तर्क का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर जमानत के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया है और उसे जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया गया है। रखी गई सामग्रियों से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी का वांछित आरोपी नंबर 1 और 2 के साथ विदेशी आधार पर संबंध है। यह भी इंगित करता है कि प्रतिवादी ने सिंडिकेट के धन को संभाला। गवाहों में से एक के बयान से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी ने उक्त गवाह से सह-अभियुक्त - रवि वारेरकर से 25 लाख रुपये की राशि इकट्ठा करने के लिए कहा था, हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा, सह-अभियुक्त - मोहम्मद का बयान भी है। रफीक ने कहा कि उसने सह-अभियुक्त दत्तात्रय भाकरे से 15 लाख रुपये एकत्र किए और प्रतिवादी को दे दिए। इकबालिया बयान से यह भी संकेत मिलता है कि वांछित आरोपी - विजय शेट्टी सेल फोन नंबर 0061290372184 का उपयोग करके प्रतिवादी को कॉल करता था। इकबालिया बयान से यह भी पता चलता है कि आरोपी नंबर 6 को प्रतिवादी-अभियुक्त के आदमी से 6 लाख रु. रुपये मिले थे। अभियोजन पक्ष

द्वारा भरोसा की गई सामग्रियों के अवलोकन पर, विशेष न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी वांछित अभियुक्त, विजय शेट्टी के लिए काम कर रहा था, और वह उसके लिए अवैध धन प्राप्त करता था और प्रथम दृष्टया अपराध की सामग्री के तहत प्रतिवादी-अभियुक्त के विरुद्ध मकोका की धारा 4 लागू होती है।

13. हमारे फैसले के पहले भाग में, हमने मकोका की धारा 21(4) निकाली, जो अदालत को उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी को खंड (ए) और (बी) में निर्धारित शर्तों के अधीन रिहा करने से रोकती है। हमारा विचार है कि धारा 21 की उपधारा (4) यह अनिवार्य करती है कि मकोका के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत देने से पहले यह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

14. स्वापक औषधि और मनरूप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में श्एनडीपीएस अधिनियमश्) में, मकोका की धारा 21 (4) के अनुरूप समान प्रावधान, अर्थात् धारा 37 को 1989 के अधिनियम 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो 2001 के अधिनियम 9 द्वारा आगे संशोधन के साथ 29.05.1989 से प्रभावी, जो इस प्रकार है:

"37. अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे-

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,-

(ए) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(बी) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27-ए के तहत दंडनीय अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त हैं।

उप-खंड (2) यह भी स्पष्ट करता है कि उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लागू सीमाओं के अतिरिक्त हैं।"

15. उपरोक्त प्रावधान पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, उपरोक्त प्रावधान पर इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम रतन मलिक अलियास हबुल, (2009) 2 एससीसी 624 में विचार किया गया था। इस मामले में, भारत संघ ने इस न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन धारा 8/27-ए और 8/29 के तहत अपराध करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी/अभियुक्त को दी गई सजा को निलंबित कर दिया गया था और जमानत दी गयी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) (बी) में लगाई गई सीमा पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"12. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 और उसकी उप-धारा (2) में गैर-अप्रत्याशित खंड को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने की शक्ति नहीं है केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत लगाई गई सीमाओं के अधीन, यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा

(1) के खंड (बी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन भी है। ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने के लिए लोक अभियोजक को अवसर, अन्य दो शर्तें अर्थात् (प) अदालत की संतुष्टि कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है; और (पप) कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, इसे संतुष्ट करना होगा। यह स्पष्ट है कि शर्तें संचयी हैं और वैकल्पिक नहीं हैं। आरोपी के दोषी नहीं होने के संबंध में विचार की गई संतुष्टि, 'उचित आधार'पर आधारित होनी चाहिए।

13. अभिव्यक्ति 'उचित आधार'को उक्त अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों को दर्शाता है कि अभियुक्त उस अपराध का दोषी नहीं है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। बदले में विचार किया गया उचित विश्वास, ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की ओर इशारा करता है जो इस संतुष्टि को उचित ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है (भारत संघ बनाम शिव शंकर केसन के मामले में)। इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित दोनों पहलुओं पर संतुष्टि

दर्ज करना एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए अनिवार्य है।

14. हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, अदालत को ''दोषी नहीं" का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए नहीं कहा जाता है। इस स्तर पर, सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक तौलना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध किया है या नहीं। देखने वाली बात यह है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त उस अपराध का दोषी नहीं है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है और इसके अलावा जमानत पर रहते हुए उसके उक्त अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना नहीं है। उक्त जुडवां शर्तों के अस्तित्व के बारे में अदालत की संतुष्टि एक सीमित उद्देश्य के लिए है और आरोपी को जमानत पर रिहा करने के सवाल तक ही सीमित है।"

इतना कहने के बाद, जमानत देने के लिए रखी गई सामग्री और उच्च न्यायालय के तर्क पर गौर करने पर, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन करता है और इसे साथ

लगाई गई सीमाओं के आलोक में नए सिरे से निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ रद्द कर दिया गया है। मौजूदा मामले में, हम जमानत देने के लिए मकोका की धारा 21(4) में लगाई गई सीमा/प्रतिबंध पहले ही हटा चुके हैं।

16. यह इंगित करना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्री से पता चलता है कि विजय शेट्टी और प्रतिवादी, भारत नेपाली के "संगठित अपराध सिंडिकेट" के सदस्य हैं। अभियोजन पक्ष का यह भी निश्चित रुख है कि फरीद तनाशा की हत्या करने वाले उक्त भरत नेपाली के साथ-साथ विजय शेट्टी भी भारत से बाहर बताए गए हैं और सिंडिकेट के सदस्यों के माध्यम से संगठित अपराध में लिप्त हैं। आगे दी गई सामग्री से पता चलता है कि दत्तात्रेय भाकरे-एक बिल्डर, चेंबूर, मुंबई में एक परियोजना कर रहे थे और सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के कुछ सदस्यों का उनके साथ कुछ विवाद था, इसलिए, उन्होंने फरीद तनाशा से संपर्क किया था, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी और वह बिल्डर के साथ विवाद में उन व्यक्तियों की मदद करने के लिए भी सहमत हुए। यह जानने पर, दत्तात्रय भाकरे ने फरीद तनाशा को खत्म करने के लिए भरत नेपाली और विजय शेट्टी से संपर्क किया और इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर 90 लाख रुपये की धनराशि का वित्तपोषण किया, जिसका भुगतान गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों के माध्यम से उक्त वांछित आरोपी व्यक्तियों को किया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि करीब 9 लाख रुपये मुख्य शूटर मोहम्मद साकिब शाहनवाज आलम खान (अभियुक्त नंबर 2) को मोहम्मद रफीक

(आरोपी नंबर 6) के माध्यम से दिये गये थे। जहां तक प्रतिवादी का सवाल है, उक्त आरोपी नंबर 6 ने एक इकबालिया बयान दिया है। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी नंबर 6, वांछित आरोपी - विजय शेट्टी के निर्देश पर, प्रतिवादी से पैसे इकट्ठा करता था और कई मौकों पर, उसने उसे आरोपी नंबर 2 को सौंप दिया था। यह भी आरोप लगाया गया कि वांछित आरोपी विजय शेट्टी के निर्देश पर, आरोपी नंबर 6 ने 28.05.2011 को प्रतिवादी को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि जून, 2010 के तीसरे सप्ताह में, अभियुक्त संख्या 6 को प्रतिवादी के एक कर्मचारी से 6 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। प्रतिवादी के खिलाफ आरोप का सार यह है कि फरीद तनाशा की हत्या के लिए शूटर को जो रकम दी गई थी, उसका एक हिस्सा उसके माध्यम से वास्तविक शूटर को दिया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मकोका की धारा 23(2) के तहत मंजूरी पुलिस आयुक्त द्वारा 25.09.2010 को दी गई थी।

17. सामग्री पर विचार करते हुए, विशेष रूप से, मकोका की धारा 21(4) के तहत रोक के आलोक में, विशेष अदालत ने प्रतिवादी द्वारा दायर जमानत के लिए आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया। रखी गई सामग्रियों से, प्रथम दृष्टया, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-अभियुक्त का वांछित अभियुक्तों, विजय शेट्टी और भरत नेपाली के साथ संबंध था, जो कुख्यात

अपराधी हैं और प्रतिवादी का कृत्य मकोका की धारा 2(1)(ए) में परिभाषित 'अबेट' की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

18. जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने ठीक ही कहा है कि उच्च न्यायालय को सह-अभियुक्त-मोहम्मद रफीक के बयान की सराहना करनी चाहिए थी कि 28.05.2010 को, उसने सह-अभियुक्त दत्तात्रेय भाकरे से 15 लाख रुपये एकत्र किए थे और प्रतिवादी को पहुंचाये। इकबालिया बयान से यह भी पता चलता है कि वांछित आरोपी विजय शेट्टी सेल फोन नंबर 0061290372184 से कॉल करता था और कॉल रिकॉर्ड से यह भी संकेत मिलता है कि प्रतिवादी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सेल फोन पर विदेशी कॉल आती थीं। इकबालिया बयान से यह भी पता चलता है कि वांछित आरोपी विजय शेट्टी सेल फोन नंबर 0061290372184 से कॉल करता था और कॉल रिकॉर्ड से यह भी संकेत मिलता है कि प्रतिवादी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सेल फोन पर विदेशी कॉल आती थीं। इकबालिया बयान में आगे संकेत दिया गया है कि उसे प्रतिवादी के आदमी से 6 लाख रुपये मिले थे। अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्री से यह भी संकेत मिलता है कि प्रतिवादी वांछित आरोपी-विजय शेट्टी के लिए काम कर रहा है और उसे उसके लिए अवैध धन प्राप्त होता था। हमने पहले ही धारा 21 (4) निकाल ली है जो उस आरोपी को जमानत देने से रोकती है जिसके खिलाफ मकोका के तहत अपराध का दोषी मानने के लिए उचित आधार हैं।

19. हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि प्रतिवादी के खिलाफ रखी गई सामग्री में सह-अभियुक्त - मोहम्मद रफीक द्वारा दिया गया कबूलनामा शामिल है, जिसे मकोका की धारा 18 के तहत दर्ज किया गया है, प्रतिवादी के कर्मचारी का बयान जो इंगित करता है कि प्रतिवादी ने जून, 2010 के तीसरे सप्ताह में उसे नकदी सौंपी थी और प्रतिवादी द्वारा प्राप्त और मुख्य आरोपी को सौंपी गई धनराशि अवैध लेनदेन का हिस्सा थी। प्रतिवादी का कार्य, प्रथम दृष्टया, परिभाषा के अंतर्गत है और मकोका के उद्देश्य और कारणों का विवरण भी है जिसे हम पहले ही निकाल चुके हैं। प्रतिवादी का कृत्य मकोका में दर्ज अपराध को बढ़ावा देने का है। किसी भी दर पर, अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्री से पता चलता है कि प्रतिवादी ने वांछित आरोपी - विजय शेट्टी के लिए अवैध धन प्राप्त किया था और इसलिए, उसके खिलाफ मकोका की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई थी। हम संतुष्ट हैं कि इन सभी पहलुओं को विशेष अदालत ने सही ढंग से सराहा है।

20. हालांकि उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है और पाया है कि परीक्षण के दौरान उन सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए और यहां तक कि ''यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि आवेदक (यहां प्रतिवादी) मकोका के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं किया है", एक गलत दृष्टिकोण पर, उसे जमानत दे दी जो मकोका की धारा 21 (4) के विपरीत है।

21. मकोका जैसे विशेष क़ानून से निपटते समय, इस अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (4) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को मामले की गहराई से जांच करनी पड़ सकती है ताकि वह किसी नतीजे पर पहुंच सके। यह पाया गया कि जांच के दौरान अभियुक्तों के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री दोषसिद्धि के फैसले को उचित नहीं ठहरा सकती है। इसी तरह, अदालत को जमानत दिए जाने के बाद उसके अपराध करने की संभावना के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होगी। न्यायालय के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह अभियुक्त की दोषीता और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगठित अपराध में उसकी संलिप्तता को देखे। जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करेगा कि क्या उसके पास अपेक्षित आपराधिक क्षमता थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह भी दोहराते हैं कि जब कोई अभियोजन किसी विशेष कानून के तहत अपराध के लिए होता है और उस कानून में उसके तहत उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान होते हैं, तो ऐसे आवेदन से निपटने के दौरान इन प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चूंकि प्रतिवादी पर मकोका के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, जमानत देने के लिए उसके आवेदन पर विचार करते समय, आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अभियोजन में लागू होने वाले व्यापक सिद्धांतों के अलावा, उक्त क़ानून में प्रासंगिक प्रावधान, अर्थात्, उप -धारा 21 की धारा

(4) को ध्यान में रखना होगा. यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मकोका की धारा 21 की उप-धारा (4) में गैर-अस्थिर खंड को पढ़ने से यह पता चलता है कि उक्त अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने की शक्ति केवल इसके अधीन नहीं है बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत लगाई गई सीमाएं, तथा धारा 21 की उप-धारा (4) के खंड (ए) और (बी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन भी हैं। अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर देने के अलावा, अन्य दोहरी शर्तें, अर्थात्, (i) न्यायालय की संतुष्टि कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है; और (ii) इस बात से संतुष्ट होना होगा कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। आरोपी के दोषी नहीं होने के संबंध में धारा 21 की उपधारा (4) के खंड (ए) और (बी) में विचार की गई संतुष्टि, ''उचित आधार" पर आधारित होनी चाहिए। यद्यपि अभिव्यक्ति ''उचित आधार" को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, यह माना जाता है कि यह प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। हम दोहराते हैं कि धारा 21 की उपधारा (4) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित दोनों पहलुओं पर संतुष्टि दर्ज करना मकोका के तहत जमानत देने के लिए अनिवार्य है।

22. मकोका के प्रासंगिक प्रावधानों, एनडीपीएस अधिनियम में समान प्रावधानों और दोनों निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के विश्लेषण से पता

चलता है कि यह मानने के लिए पर्याप्त संभावित कारण कि आरोपी उस अपराध का दोषी नहीं है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, संतुष्ट होना चाहिए। इसके अलावा, प्रदान किया गया उचित विश्वास ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की ओर इशारा करता है जो इस संतुष्टि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है। हमने पहले ही मामले में मौजूद सामग्रियों पर प्रकाश डाला है और हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय जमानत देते समय ऊपर बताए गए दोहरे परीक्षणों से संतुष्ट नहीं है।

23. हमारी राय में, मकोका की धारा 21(4) की अनिवार्य आवश्यकताओं की अनदेखी करते हुए पारित किया गया आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, 2011 की आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 872 में प्रतिवादी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के दिनांक 10.08.2011 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है एवं विशेष न्यायाधीश के एमसीओ विशेष प्रकरण क्रमांक 10/2010 में दिनांक 07.05.2011 के आदेश को बहाल किया जाता है। उसी के मद्देनजर, प्रतिवादी को इस आदेश के पारित होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर, विशेष अदालत को उसकी गिरफ्तारी के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

24. महाराष्ट्र राज्य की अपील स्वीकार की जाती है।

आर.पी.

अपील अनुमत की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय शुक्ला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****